रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10032021-225768
CG-DL-E-10032021-225768

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1012] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 10, 2021/फाल्गुन 19, 1942
No. 1012] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 10, 2021/PHALGUNA 19, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 मार्च, 2021

का.आ. 1100(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार की सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 1507(अ), दिनांकित 12 मई, 2020 के द्वारा केंद्र सरकार ने केरल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 47 (नया राष्ट्रीय राजमार्ग 66) के किमी 358.750 से किमी 551.900 (इडापल्ली – एर्नाकुलम – तिरुवनंतपुरम – केरल / तमिलनाडु सीमा का शेष आंशिक खंड) तक को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जो इसके बाद ''प्राधिकरण'' के रूप में उल्लिखित है) को सुपुर्द कर दिया है।

अत: अब, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का निर्धारण और संग्रहण) नियम, 2008 के नियम 3 के साथ पठित (जो इसके आगे ''नियम'' के रूप में उल्लिखित है) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतदद्वारा केरल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 66 (पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 47) के अलपुझा बाइपास पर डिजाइन किमी 408.100 से डिजाइन किमी 414.900 (मौजूदा किमी 408.100 से किमी 414.900 तक) तक के 32 किमी (3.20 किमी लंबाई वाली) की समतुल्य संरचना लंबाई (60 मी से अधिक लंबाई वाले) हेतु तालिका 1 के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट आधार दर के 60% दर पर और दस करोड़ रु. अथवा अधिक लागत के 3.6 किमी लंबाई वाले बाइपास के लिए तालिका 1 के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट आधार दर के 90% दर पर तालिका 1 के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट वाहनों के प्रकार पर यांत्रिक वाहनों से फीस उदगृहीत करती है तथा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग

प्राधिकरण को उसके अधिकारियों अथवा किसी ठेकेदार के माध्यम से उक्त फीस के संग्रहण के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात्:-

तालिका-।	
वाहन का प्रकार	**आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किमी आधार फीस दर (रु. में)**
(1)	(2)
कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहन या मिनी बस	1.05
बस या ट्रक (दो धुरी)	2.20
तीन धुरी वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी निर्माण मशीनरी (एचसीएम) या अर्थ मूविंग उपस्कर (ईएमई) या बहु धुरीय वाहन (एमएवी) (चार से छ: धुरी)	3.45
विशाल आकार के वाहन (सात या अधिक धुरी)	4.20

1. इसके अंतर्गत उदगृहीत और संगृहीत फीस ऐसे पथकर प्लाजा पर दस करोड़ रु. अथवा अधिक लागत के बाइपास के उपयोग के लिए विनिर्दिष्ट निवल बाइपास लंबाई हेतु निम्नलिखित पथकर प्लाजाओं में देय और संदेय होगी:-

तालिका-2						
पथकर प्लाजा की अवस्थिति (चैनेज)	**बाइपास का नाम**	**से शुरू होने वाला**	**पर मिलने वाला**	**बाइपास की लंबाई और लागत जिसके लिए अतिरिक्त फीस संदेय है**		**दर, जिस पर फीस संदेय है**
				लंबाई (किमी में)	लागत (करोड़ रु. में)	
केरल में अलपुझा जिले में कोम्माडी के निकट अर्याड साउथ गांव में राष्ट्रीय राजमार्ग 47 (नया राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 66) के किमी 408.600 पर	राष्ट्रीय राजमार्ग 66 (पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 47) का अलपुझा बाइपास	डिजाइन किमी 408.100 (मौजूदा किमी 408.100)	डिजाइन किमी 414.900 (मौजूदा किमी 414.900)	3.60	93.39	ऊपर तालिका-1 में उल्लिखित आधार दरों का 90%

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित फीस प्लाजा पर 60 मीटर से अधिक लंबाई वाली निम्नलिखित अवसंरचनाओं के उपयोग के लिए 10 के समतुल्य गुणक द्वारा ऐसी अवसंरचनाओं की लंबाई को गुणा करके राजमार्ग की समतुल्य लंबाई में अवसंरचनाओं की लंबाई को परिवर्तित करके निम्नलिखित फीस भी देय और संदेय होगी:-

तालिका-3			
शुल्क प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	**सड़क की समकक्ष लंबाई में परिवर्तित किए जाने हेतु संरचनाओं की लंबाई (किमी में)**	**सड़क की समकक्ष लंबाई (किमी में)**	**दर, जिस पर शुल्क संदेय है**
केरल में अलपुझा जिले में कोम्माडी के निकट अर्याड साउथ गांव में राष्ट्रीय राजमार्ग 47 (नया राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 66) के किमी 408.600 पर	^3.200	32.000	ऊपर तालिका-1 में उल्लिखित आधार दरों का 60%

^ ब्यौरा निम्नानुसार हैं:-

क्रम सं.	चैनेज		संरचना का प्रकार	लंबाई (किमी में)
	से किमी	किमी तक		
1.	409.880	413.080	उत्थापित राजमार्ग	3.200
कुल				**3.200**

3. गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत यांत्रिक वाहन के स्वामी और पथकर प्लाजा से बीस किमी की दूरी के भीतर निवास करने वाले व्यक्ति के लिए मासिक पास की दर वर्ष 2020-21 के लिए 275.00 रु. (दो सौ पछत्तर रुपए मात्र) है और उक्त नियमों के प्रावधानों के अनुसार प्रतिवर्ष संशोधन के अध्यधीन है।

4. राजमार्ग खंड पर बहुल यात्राओं के लिए निम्नलिखित दरों पर पास जारी किए जाएंगे, अर्थात्

तालिका-4		
संदेय राशि	**अनुज्ञात एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या**	**मान्यता अवधि**
एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	भुगतान के समय से चौबीस घंटे
पचास एकल यात्राओं के लिए संदेय शुल्क की राशि का दो-तिहाई	पचास	भुगतान की तारीख से एक मास

5. फीस प्लाजा स्थित होने वाले जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों (राष्ट्रीय परमिट के अधीन परिचालित किए जा रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए फीस उस श्रेणी के वाहन हेतु निर्धारित दर की 50% होगी, बशर्ते कि ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के प्रयोग के लिए कोई सर्विस रोड या वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हों।

6. संबंधित श्रेणी के वाहनों के लिए विनिर्दिष्ट अनुज्ञेय भार से अधिक भार लदे यांत्रिक वाहन का चालक या स्वामी या प्रभारी व्यक्ति, राष्ट्रीय राजमार्ग पर अतिभार लदे वाहन के प्रवेश के लिए टोल संग्रहण एजेंसी को ऐसी श्रेणी के वाहनों के प्रवेश लिए, कथित नियमों के नियम 10 के उप-नियम 1ए के अनुसार विनिर्दिष्ट फीस के समतुल्य फीस का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा और वह राजमार्ग खंड का प्रयोग करने के लिए तब तक हकदार नहीं होगा जब तक ऐसे यांत्रिक वाहन से लदा अतिभार हटाया नहीं जाता।

7. सभी परिभाषाएं, यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, इनके अनुज्ञेय भार, छूट प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क इत्यादि पूर्वोक्त नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुरूप होंगी।

8. फीस की दरें उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसरण में प्रयोक्ताओं के सूचनार्थ प्रदर्शित करनी होंगी ।

9. यांत्रिक वाहनों से फीस की वास्तविक राशि उपर्युक्त तालिका-1 में यथा-उल्लिखित आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किमी फीस की आधार दर के आधार पर प्रभारित होगी और छूटों की गणना प्राधिकरण द्वारा खंड की पूरी हो गई लंबाई के आधार पर की जाएगी और उसे उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार प्रति वर्ष संशोधित किया जाएगा तथा तदनुसार उसे अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा के कम से कम एक-एक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा।

10. परियोजना की अनुमानित पूंजीगत लागत 348.43 करोड़ रू. है जिसका वहन केंद्र सरकार और केरल राज्य सरकार द्वारा 50:50 के अनुपात में किया जाएगा। प्राधिकरण द्वारा प्राप्त प्रयोक्ता फीस के माध्यम से अर्जित की गई पूंजीगत लागत का रिकार्ड रखा जाएगा तथा पूंजीगत लागत के केंद्रीय सरकार के हिस्से के वसूली के पश्चात लगाए जाने वाले शुल्क की दरों को घटाकर 40% कर दिया जाएगा और उक्त नियमों के अनुसार इसमें वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा।

[फा. सं. आरडब्ल्यू/टीआरआई/एनएच-47/29/2010-11 (वॉल्यूम-V)]

अमित वरदान, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th March, 2021

S.O. 1100(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 1507(E) dated 12th May, 2020 issued under Section 11 of the National Highways Authority of India Act,1988(68 of 1988), the Central Government has entrusted the stretch from km 358.750 to km 551.900 (Remaining partial stretch of Edappalli-Ernakulam-Thiruvananthapuram-Kerala/Tamil Nadu border section) of National Highway Number 47 (new National Highway 66) in the State of Kerala to the National Highways Authority of India (herein after referred to as "Authority");

Now, therefore, in exercise of the power conferred by Section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with Rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 (hereinafter referred to as the "rules"), the Central Government hereby levies the fee on mechanical vehicles at sixty percent of the rate specified in Column (2) of the Table 1 for equivalent structure length (having length more than 60m) of 32 km (having length of 3.20 km) and at ninety percent of the base rate for bypasses having length of 3.6 km costing rupees ten crore or more on the type of vehicles specified in column (1) of the Table 1 below on Alappuzha bypass from design kilometer 408.100 to kilometer 414.900 (existing km 408.100 to km 414.900) of National Highway Number 66 (Old National Highway Number 47) in the State of Kerala and authorizes the Authority to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee, namely:-

Table 1

Type of vehicle	**Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)**
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65

Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three-axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

1. The fee to be levied and collected hereunder shall be due and payment at the Fee Plaza for the use of the bypass costing Rs.10 Crore or more at the following Fee Plaza for net bypass length specified for such Fee Plaza: -

Table-2

Location of Fee Plaza (Chainage)	Name of the Bypass	Taking Off	Merging at	Length and Cost of bypass for which additional fee is payable		Rate at which fee is payable
				Length (in Km.)	Cost (in Rs. Crore)	
At Km 408.600 of National Highway 47 (new National Highway 66) near Kommadi in Aryad South Village in Alappuzha District of Kerala	Alappuzha Bypass of National Highway-66 (Old National Highway 47)	Design km 408.100 (existing km 408.100)	Design km 414.900 (existing km 414.900)	3.60	93.39	90% of the base rates mentioned in Table – 1 above

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following structures having length more than 60m at the following Fee Plaza, by converting the length of structures into an equivalent length of highway by multiplying the length of such structures by an equalisation factor of 10: -

Table 3

Location of Fee Plaza (chainage)	Length of structures (in km) to be converted into equivalent road length	Equivalent road length (in km)	Rate at which fee is payable)
At Km 408.600 of National Highway 47 (new National Highway 66) near Kommadi in Aryad South Village in	*3.200	32.000	60% of the base rates mentioned in Table – 1 above

Alappuzha District of Kerala			

^The details are as under: -

Sl No.	Chainage		Type of Structure	Length (in km)
	From km	To km		
1	409.880	413.080	Elevated Highway	3.200
Total				3.200

3. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometres from the fee plaza is Rs 275 (Rupees two hundred and seventy five only) for the year 2020-21 and is subject to revision every year as per the provisions of the said rules.

4. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely: -

Table 4		
Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys.	Fifty	One month from date of payment

5. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under National permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the specified rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.

6. The driver or owner or a person in charge of a mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the fee collecting agency, equal to the fee specified in sub-rule 1A of rule 10 of the said rules, and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.

7. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road, etc. shall be as per definitions specified in the said rules.

8. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rule 12 of the said rules.

9. Based on the base rate of fee per kilometer for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority on the basis of the completed length of the section and revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and the same shall be

published in at least one newspaper in English and vernacular language.

10. The estimated capital cost of the project is Rupees 348.43 crores, which has been born by the Central Government and Government of Kerala on 50:50 Cost Sharing basis. The Authority shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realized and after recovery of the Central Government Share of capital cost, the fee leviable shall be reduced to 40% of the rates and shall be revised annually in accordance with the said rules.

[F. No. RW/TRI/NH-47/29/2010-11(Vol-V)]

AMIT VARADAN, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2021.03.10 21:40:43 +05'30'